न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 07/18 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2018/00027

उनवान

1. विजय सिंह
2. रजई
3. शिव सिंह
4. रामवीर

} पिस0 मोहन सिंह } जाति कछवाये निवासी मुस्तफाबाद तह0 व जिला धौलपुर।

5. कमला पत्नी अर्जुन सिंह
6. गौरीशंकर पुत्र अर्जुन सिंह

} जाति कछवाये निवासी मुस्तफाबाद तह0 व जिला धौलपुर।

7. शीला पुत्री अर्जुन सिंह उम्र 10 साल
8. मनोज पुत्र अर्जुन सिंह उम्र 12 साल

} नाबालिग सरपरस्ती मॉ खुद कमला पत्नी अर्जुन सिंह जाति कछवाये नि0 मुस्तफाबाद तह व जिला धौलपुर।

9. गीता पुत्री अर्जुन सिंह पत्नी प्रेम सिंह जाति कुशवाह निवासी गुमह बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
10. प्रीती पुत्री अर्जुन सिंह पत्नी शिव सिंह जाति कुशवाह निवासी शाहपुरा उप तहसील मनिया तहसील व जिला धौलपुर।
11. सर्वेश पुत्री अर्जुन सिंह पत्नी दौलत सिंह जाति कुशवाह निवासी चार विशा मपा बॉस तहसील खैरागढ जिला आगरा।
12. तेज सिंह पुत्र दुर्जना (फौत)
13. पप्पू पुत्र दर्जना
14. बादामी पत्नी सोरन
15. कालीचरन पुत्र सोरन

} समस्त जाति कछवाये निवासी मुस्तफाबाद तहसील व जिला धौलपुर।

16. धर्मेन्द्र पुत्र सोरन उम्र 15 साल
17. करिश्मा पुत्री सोरन उम्र 08 साल

} नाबालिग सरपरस्ती मॉ खुद बादामी पत्नी सोरन जाति कछवाये निवासी मुस्तफाबाद तह व जिला धौलपुर।

18. राजकुमारी पुत्री सोरन पत्नी रामनाथ जाति कछवाया निवासी मिर्जापुर सादिकपुर तहसील व जिला धौलपुर।
19. प्रेमवती पुत्री सोरन पत्नी महाराज सिंह जाति कछवाया निवासी मिर्जापुर सादिकपुर तहसील व जिला धौलपुर।
20. भावना पुत्री सोरन पत्नी राम सिंह जाति कछवाया निवासी मूडिक तहसील बसेडी जिला धौलपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. शिव सिंह पुत्र राम सिंह जाति कछवाया निवासी मुस्ताफाबाद तहसील व जिला धौलपुर।
2. धर्म सिंह पुत्र मोतीलाल (फौत)
   - 2/1. कुंवर सिंह
   - 2/2. लाखन सिंह
   - 2/3. सिरदार सिंह

   } पिस0 धर्म सिंह } समस्त जाति कुशवाह निवासीगण मुस्तफाबाद तहसील व जिला धौलपुर।
   - 2/4. लोगो पुत्री धर्म सिंह पत्नी रूपा जाति कुशवाह निवासी आमूलीपाडा रेल्वे स्टेशन के पास बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
   - 2/5. बतसिया पुत्री धर्म सिंह पत्नी राजू जाति कुशवाह निवासी पही मौहल्ला बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।

भू प्रबंध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

3. मोहनलाल पुत्र मोतीराम जाति कछवाया निवासी मुस्तफावाद तहसील व जिला धौलपुर।

..............................असल रेस्पोडेण्ट

4. तुस्सो पुत्री कन्ही पत्नी रतीराम
5. रमेश पुत्र } पि0 सूखी पत्नी श्यामलाल } जाति कछवाया निवासी मुस्तफावाद तह0 व जिला धौलपुर।
6. भूदेवी पुत्री }
7. शोभाराम } पि0 मेघा } जाति कछवाया निवासी मुस्तफाबाद तहसील व जिला धौलपुर।
8. महेन्द्र
9. रामफूल
10. रामऔतार
11. राकेश
12. देवो पत्नी मेघा
13. शिमला पुत्री मेघा पत्नी सुरेश जाति कछवायसा निवासी हिनौता चौकी उपतहसील मनियॉ तहसील व जिला धौलपुर।
14. प्रेम पत्नी बलवन्त } समस्त जाति कछवाया निवासी मुस्तफाबाद तहसील व जिला धौलपुर।
15. शंकरलाल } पि0 बलवंत
16. मुन्ना }
17. मीरा पुत्री बलवंत
18. केला पुत्री बलवंत
19. ममता पुत्री बलवंत
20. पांचो पत्नी बलवंत
21. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार धौलपुर।

..............................तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय न्याया0 उपखंड अधिकारी धौलपुर दि0 03.05.2005 एवं डिक्री दिनांक 09.01.2018 प्र.सं. 114/05 उनवानी मोहन सिंह बनाम शिव सिंह वगै0।

उपस्थित :–

1. श्री सुरेश कटारा वकील अपीलांट।
2. रैस्पो0 बाबजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–29.10.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 03.05.2005 व डिक्री दिनांक 09.01.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 संख्या 04 लगायत 19 के पूर्व पुरूषो ने एक दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम मुस्तफाबाद में कन्हई 1/2 भाग मोहन सिंह, दुर्जना हिस्सा 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार थे। वर्तमान में वादी अपीलाण्ट 01 व 02 हिस्सा 1/2 भाग तथा वादी अपीलाण्ट 03 लगायत 06 हिस्सा 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार हैं। कन्हई, मोहन सिंह

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

व दुर्जना ने प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 व 03 के पिता मोतीराम को संवत 2012 में एक साल को विवादित आराजी में बटाई के लिये सरीक कर लिया था। परन्तु शिकमी पर नहीं दिया। लेकिन मोतीराम ने राजस्व अभिलेख में शिकमी का गलत इंद्राज करा लिया एवं खसरा नम्बर 183, 182/1 को गलत प्रकार से प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 के लिये विक्रय कर दिया। अतः विवादित आराजी में वादी अपीलाण्ट संख्या 01 को 1/2 भाग, वादी अपीलाण्ट संख्या 02 लगायत 06 को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एवं प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 लगायत 03 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावें एवं रिकार्ड से उनके नाम कलमजन किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारो के मध्य राजीनामा हो गया तो अधीनस्थ न्यायालय को राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित करना चाहिये था, जो नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को मात्र इतनी जॉच करनी थी कि प्रस्तुत राजीनामा विधिवत हैं या नहीं। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में दो बार राजीनामा प्रस्तुत हुये हैं एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें तस्दीक भी किया है, तो ऐसी सूरत में राजीनामा के आधार पर ही निर्णय पारित करना चाहिये था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में राजीनामा बाबत् कोई तथ्य अंकित नहीं किये हैं कि राजीनामा के आधार पर डिक्री क्यों पारित नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत होने पर बहस हेतु अग्रिम पेशी निर्धारित कर दी गयी। जबकि प्रकरण में तनकीयात कायम होने क बाद गवाह पीडीब्लयू 1 दिनांक 01.04.2003 को जिरह अधूरी रही। दस्तावेज प्रदर्श ही नहीं हुये, तो अधीनस्थ न्यायालय बिना साक्ष्य एवं बिना प्रदर्श किये दस्तावेजो को कैसे पढ सकता है एवं उनके आधार पर कैस निर्णय पारित कर सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने राजीनामाा के आधार पर निर्णय ना पारित करने में भूल की है। अंत में अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1992 पेज 135, 1995 पेज 529, एआईआर 1993 पेज 821, 1985 पेज 195, आरआरटी 2016–17 पेज 158 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। यह सही है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी बाबत पक्षकारो के द्वारा दो बार राजीनामा प्रस्तुत हुये हैं एवं अधीन्स्थ न्यायालय ने उक्त राजीनामाओ को तस्दीक भी किया है। परन्तु अपीलाधीन आदेश, राजीनामा के आधार पर पारित नहीं किया है। यदि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजीनामा विधि अनुरूप नहीं थे, तो अधीनस्थ न्यायालय को राजीनामा के विधिवत ना होने के कारण अपीलाधीन आदेश में स्पष्ट करने चाहिये थे, जो नहीं किये गये

भू.प्र.व.अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी

हैं। यदि तर्क के लिये राजीनामाओ को विधिवत ना होना मान भी लिया जावें, तो भी राजीनामा प्रस्तुत होने के पश्चात् उभयपक्षकारान को दस्तावेजी साक्ष्य, गवाह आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिये था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षकारान को ना तो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया एवं ना ही पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्श ही किया, बिना प्रदर्श हुये पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज विधि अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माने जा सकते हैं। प्रकरण में तनकीयात कायम होने के पश्चात् वादी की ओर से दिनांक 01.04.2003 मात्र एक बयान पीडब्ल्यू 1 की गवाही हुयी है। परन्तु जिरह अधूरी रही का अंकन है। लिहाजा बिना गवाह/दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्श कराये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है। इस प्रकार का निर्णय चाहे कितने ही परीक्षण अन्वेषण एवं मानसिक परिश्रम उपरान्त लिखा गया हो, यह आभास कराता है कि निर्णय करते समय न्यायिक विवेक उपयोग नही हुआ है। न्याय होना ही पर्याप्त नही, होते हुए दिखना भी चाहिए। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 03.05.2005 व डिक्री दिनांक 09.01.2018 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये एवं राजीनामा विधिवत हैं अथवा क्यों विधिवत नहीं है, बाबत स्पष्ट व्याख्या करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान् को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 02.12.2024 को सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 29.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर